


18/06/25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय अनुपस्थित। प्रकरण
सुनवाई हेतु बार-बार आवाज लगवाई गई।
बावजूद बार-बार आवाज लगवाने वकूलाय
उभयपक्ष अथवा पक्षकारान में से कोई भी हाजिर
अदालत नहीं आया है। अतः कार्यवाही प्रकरण
अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।
निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

18/06/2025


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

